

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(9) आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/दिशा-निर्देश/2021/6046541 जयपुर, दिनांक 25.04.2024

जिला कलक्टर,
जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर,
अनूपगढ़ व सिरौही, राजस्थान।

विषय:—खरीफ फसल 2023 (सम्वत् 2080) में बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि
आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में खरीफ फसल 2023 (सम्वत् 2080) में दो हैक्टेयर व दो हैक्टेयर से अधिक भूमि धारिता वाले लघु सीमान्त (SMF) एवं अन्य (OSMF) काश्तकारों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा हुआ है, खराबा वाले पात्र काश्तकारों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 33-03/2020-NDM-I दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी नोर्म्स अनुसार ही कृषि आदान अनुदान सहायता वितरण के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

1. जिन लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति (बोये गये क्षेत्र का) हुई है, उनको निम्न अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा जो जोत सीमा तक एस.डी. आर.एफ. के नोर्म्स अनुसार अधिकतम दो हैक्टेयर तक देय होगा:—

(अ) असिंचित क्षेत्र हेतु 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर

(ब) सिंचित क्षेत्र हेतु

(i) बिजली के कुओं व नहर से
सिंचित क्षेत्र हेतु

17000 रुपये प्रति हेक्टेयर

(ii) बारहमासी फसलों हेतु

22500 रुपये प्रति हेक्टेयर

2. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नेशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उसको लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

RajKaj Ref
6046541



Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.25 09:45:34 IST
Reason: Approved

3. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर दो हैक्टर तक भूमि धारिता वाले काश्तकार एवं दो हैक्टर से अधिक भूमि धारिता वाले काश्तकार की 6 सूचियां पृथक्-पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जायेगी:-

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम..... पटवार हल्का..... तहसील.....

TEHSIL	VILLAGE	NAME	FATHER'S NAME	DAMAGE SOWN AREA > = 33% (In h.a.)	IFSC CODE	Bank Name & Account Number	AADHAR Number	MOBILE Number	CATEGORY	RELIEF CATEGORY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट:-

- उक्त प्रपत्र में किसी भी कॉलम अथवा नाम में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावे।
- इस प्रपत्र को केवल अंग्रेजी में ही तैयार (एन्ट्री) किया जावे।
- इस प्रपत्र को तैयार करते समय किसी भी कॉलम संख्या 1 से 11 में Special Character न डाले जावे।
- कॉलम संख्या 1 में जिले की तहसील का नाम दर्ज करना है, जिस तहसील में काश्तकार की फसल का खराबा हुआ है।
- कॉलम संख्या 2 में जिले के गांव का नाम दर्ज करना है, जिस गांव में काश्तकार की फसल का खराबा हुआ है।
- कॉलम संख्या 3 में काश्तकार का नाम जिसकी फसल खराब हुई है।
- कॉलम संख्या 4 में काश्तकार के पिता का नाम दर्ज करना है।
- कॉलम संख्या 5 में काश्तकार द्वारा फसल का बोया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में) जिसमें 33 प्रतिशत या उससे अधिक का खराबा हुआ है।
- कॉलम संख्या 6 में काश्तकार के बैंक खाते का IFSC Code जिस बैंक में उसका बैंक खाता है।
- कॉलम संख्या 7 में काश्तकार के बैंक खाते का विवरण जिस बैंक में उसका बैंक खाता है।
- कॉलम संख्या 8 में काश्तकार के 12 नम्बर का आधार नम्बर दर्ज किया जावेगा।
- कॉलम संख्या 9 में काश्तकार के मोबाईल नम्बर जो उसके खाते में दर्ज है।
- कॉलम संख्या 10 में 33, 50 या 75 में से कोई एक कोड डाले जावे। इनके अलावा इस कॉलम में और कोई इन्द्राज नहीं किया जावे।

(1) 33 - (33 प्रतिशत एवं इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम खराबा)

(2) 50 - (50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम खराबा)

(3) 75 - (75 प्रतिशत से अधिक खराबा)

RajKaj Ref
6046541

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.25 09:45:34 IST
Reason: Approved

- कॉलम संख्या 11 में काश्तकार द्वारा बोयी गयी फसल खराब हुई है उसका कोड दर्ज किया जावे। जैसे R, I, P, (R-Rainfed, I-Irrigated, P-Perennial)

तहसील स्तर पर ग्रामवार कृषकों के बैंक खातों की फाईल संधारित (maintain) की जाएगी। जिसमें इन्डेक्स में alphabetically कृषक का नाम रहेगा व कृषकों के बैंक खाता विवरण की फोटो कॉपी संधारित (maintain) रहेगी। तहसीलदार से स्वीकृति के उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम सचिव व कृषि पर्यवेक्षक के सहयोग से पात्र कृषकों की सूची एवं उनको स्वीकृत की गयी राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की संख्या निर्धारित कर विभाग को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित की जायेगी तथा उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

4. इस प्रयोजन हेतु उसे काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा। सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल हिस्से की गणना कर उसकी जोत (Holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विद्यमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।
5. ऐसे कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान दिया जा सकता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होंने ठेकेपर फसल की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

6. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

जिला स्तरीय समिति:-जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जिले में इस कृषि आदान अनुदान वितरण के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में प्रभारी अधिकारी (सहायता), उप निदेशक कृषि, लीड बैंक ऑफिसर एवं कोष अधिकारी मैम्बर्स होंगे। इस समिति के द्वारा इस कृषि आदान अनुदान वितरण के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

उपखण्ड स्तरीय उपसमिति:-उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व BLBC के मैम्बर्स की एक उप समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

RajKaj Ref
6046541

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.25 09:45:34 IST
Reason: Approved

ग्राम स्तरीय समिति:—इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, ग्राम सेवक व कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे जो कि गांव में इस योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

राहत गतिविधिया प्रारंभ करने से पूर्व ही सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की संख्या निर्धारित कर विभाग को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित की जायेगी तथा उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

7. **खातेदार जिले से बाहर का निवासी होने के संबंध में:**— यदि जिले में स्थित किसी कृषि भूमि की बुवाई की गयी है तो उसमें प्रभावित कृषक को फसल खराबे पर अनुदान दिये जाने के लिए उस कृषक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है। परन्तु कृषक से यह शपथ पत्र लेना जरूरी है कि अन्य जिलों में उसकी कोई कृषि भूमि नहीं है। किन्तु अन्य जिले में कृषि भूमि होने की स्थिति में उसके आधार पर गणना कर, पात्र होने पर ही जिले में स्थित खराबा क्षेत्र के आधार पर अनुदान दिया जाना है।
8. **गैर खातेदारी के संबंध में:**—गैर खातेदार को भी खातेदार के समान ही अनुदान हेतु पात्र माना जावे।
9. **मृतक खातेदार:**—मृतक खातेदारों की भुगतान योग्य राशि का भुगतान उनके वैध उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। परन्तु यह राशि मृतक खातेदार के हिस्से के अनुरूप निर्धारित अनुदान के बराबर ही होगी।
10. **विवादित भूमि के संबंध में:**—कृषि आदान अनुदान राशि, आपदा से प्रभावितों को बोई गई फसल में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे के कारण तात्कालिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस अनुदान राशि दिये जाने में भूमि संबंधित विवाद में संबंधित पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं होगा व मालिकाना हक का निर्धारण माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्वधीन होगा।
11. **मन्दिर माफ़ी भूमि:**—कृषि आदान अनुदान सहायता रिकॉर्डेड खातेदार के बैंक खाते में ऑनलाईन ही जमा करवाया जावे। यदि कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो उसके खाते में कृषि आदान अनुदान राशि ऑनलाईन जमा करवाई जा सकती है।
12. **सरकारी सेवा में कार्यरत:**—व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में खातेदारी/सहखातेदारी के मानदण्डानुसार दो हैक्टयर तक जोत रखता है तो नियमानुसार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावेगा। काश्तकार की अन्य व्यवसाय से आय को अपात्रता का आधार नहीं बनाया जावेगा।

RajKaj Ref
6046541

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.25 09:45:34 IST
Reason: Approved

13. **बजट की मांग:-**जिला कलक्टर तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए काश्तकारों की वास्तविक संख्या सूची के अनुसार ही आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर विभाग से बजट की ऑन लाइन मांग प्रेषित करेंगे एवं ऑनलाईन डिमांड में यह अंकित करेंगे कि "खसरा गिरदावरी के आधार पर आदान अनुदान के लिए तैयार की गई मूल पात्र किसानों की सूची के अनुसार ही ऑनलाईन बजट की मांग प्रस्तुत की गई है।" खसरा गिरदावरी प्रपत्र 7डी में अंकित किसानों की संख्या से अधिक कृषकों को भुगतान नहीं किया जावे। जिला कलक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों का विवरण (Details) तहसील स्तर पर यथा सम्भव पूर्ण हो चुका है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आवंटन किया जावेगा।
14. **बैंक खाता:-**समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा, नकद कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नहीं हैं, उनके नये खाते बैंक के माध्यम से खुलवाने होंगे जिसमें राशि ऑनलाईन ट्रान्सफर की जा सके।
15. जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसे-जैसे तहसील कार्यालय से प्रभावित काश्तकारों की सूची प्राप्त होती जावे, वैसे-वैसे, बिना विलम्ब के, उन काश्तकारों के बैंक खातों में देय राशि पे-मेनेजर जरिए ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावें। जिन काश्तकारों के पूर्व में बैंक खाते नहीं हैं, उनके खाते अपने स्तर पर नजदीकतम बैंक में खुलवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में राजस्व/कृषि/ग्रामीण विकास की एजेन्सियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जावेगा। इसके अतिरिक्त राजकीय राशि का बैंको के पास उपलब्ध रहना दुर्विनियोजन होगा।
16. यदि किसी जिले में पै मेनेजर सर्वर पर लोड से धीमा चले या उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में वितरण की कार्यवाही में व्यवहारीक कठिनाई उत्पन्न हो जावे तो ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अपने बैंक में खुलवाये हुए बैंक खातों में कृषि आदान अनुदान मद की राशि जमा करवाकर बैंक के माध्यम से संबंधित काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन राशि हस्तान्तरण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
17. जो सूचियां कलक्टर द्वारा बैंक में भेजी जाएगी, उनकी प्रति Soft copy में इस विभाग को साप्ताहिक रूप से भेजी जाएगी।
18. जिला कलक्टर इस हेतु बिन्दु संख्या 3 में दी गई प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात जो काश्तकार भुगतान हेतु पात्र पाये जाते हैं उन सूचियों को प्रभारी अधिकारी (सहायता) के माध्यम से बैंक को भेजेंगे। बैंक शाखा द्वारा उस सूची में दिये गये आईएफएससी कोड वाले आधार नम्बर वाले खातों में राशि भुगतान की जाएगी।

RajKaj Ref
6046541

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.25 09:45:34 IST
Reason: Approved

19. जिला कलेक्टर लीड बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से यह साप्ताहिक जानकारी प्राप्त करें कि जिन बैंकों को कृषकों के खातों में राशि डालने हेतु उपलब्ध कराई है वे खाते ऑपरेशनल हैं तथा यदि कोई खाता गलत है तो वह जानकारी भी बैंक से प्राप्त कर उसे दुरुस्त करवाएँ।

20. कृषकों के खातों में राशि जमा की सूचना जिला कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक रूप से राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जावेगी। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी में विस्तृत व्यय विवरण सहित राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए बाढ़ से प्रभावित पात्र काश्तकारों की सूचियां जिसमें काश्तकारों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा बैंक के IFSC कोड का अंकन आवश्यक रूप से हो, की सूचियों सहित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्र ऑन लाईन बजट मांग की जाकर पात्र काश्तकारों के खातों में पै-मेनेजर के माध्यम से DBT द्वारा कृषि आदान अनुदान राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाकर लाभान्वित कृषकों की सूचियां वेब साईट पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि एक फसल सम्वत् में एक ही प्रभावित व्यक्ति को दोहरा भुगतान ना हों। कृषि आदान अनुदान के वितरण हेतु शीघ्र ऑनलाईन बजट प्राप्त कर, प्रभावितों को भुगतान कर, उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, पाली एवं बीकानेर, राजस्थान।
7. उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. विभागीय प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को संबंधित जिले हेतु DMIS पोर्टल तुरन्त प्रभाव से खोलने हेतु प्रेषित है।
9. विभागीय बाढ़, शाखा, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

RajKaj Ref
6046541

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.04.25 09:45:34 IST
Reason: Approved